राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 2 नवम्बर, 1994

क्रमांक 5195-ज-II-94/22547.—श्री सुरत सिंह, पुत्र श्री विरखा राम, निवासी गांव नौवन्द, तहसील रोहतक, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 542-ज-II-81/28006, दिनांक 18 अगस्त, 1981 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री सूरत सिंह की दिनांक 7 अगस्त, 1991 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री सुरत सिंह की विधवा श्रीमती छोटी देवी के नाम रबी, 1992 से 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 5229-ज-2-94/22551.—श्री मेवा सिंह, पुत्र श्री शीलक राम, निवासी गांव बेरला, तहसील चरखीदादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 244-आर-4-66/893, दिनांक 31 मार्च, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-79/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री मेवा सिंह की दिनांक 19 अप्रैल, 1988 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री मेवा सिंह की विधवा श्रीमति निम्बो देवी के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

के० एस० बरगा,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

राजस्व विभाग

दिनांक 7/10 नवम्बर, 1994

संख्या 5882-र-III-94/22918.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव फतेहपुर, तहसील तथा जिला कैथल में उप-तहसील फतेहपर पुण्डरी के भवन निर्माण के लिए अपेक्षित है, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, कलैक्टर कैथल तथा ऐसे अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को जो इस समय इस कार्य में लगे हैं, परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राज पत्र में प्रकाशन या दो दैनिक समाचार पत्रों जिनमें से कम से कम एक प्रकाशन क्षेत्रीय भाषा में होगा या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में 30 दिन की अवधि के भीतर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, कैथल के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई हो, दायर कर सकता है।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, जिला कैथल के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव तथा हदबस्त सं०	खेवट सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7
					कनाल	मरले
कैथल	कैथल	फतेहपुर	80	863	14	16
		8	81 मिन	865	10	7
				कुल	25	3

जे. डी. गुप्ता,

सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

10213 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.